

चोरी के मामले में दो लोगों को सजा

श्रावस्ती। चोरी के अलग-अलग मामले में दो अभियुक्तों को सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सजा सुनाई। इसमें से एक अभियुक्त को पहले भी दो वर्ष सात माह की सजा हो चुकी है। जबकि दूसरे को छह माह पंद्रह दिन की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पहले से ही अन्य मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं।

ओरजनपट्टीय शहीर चोर लालबहादुर व अनूप कुमार को सीजेएम न्यायालय ने चोरी के मामले में सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से पेशी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी अलोक कुमार पंडे ने बताया कि लालबहादुर व अनूप के विरुद्ध जिले के कई धान में अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें से कुछ मामलों का टागल सीजेएम शहीर प्रसाद के न्यायालय में चल रहा था। ऐसे ही वर्ष 2018 में हुई चोरी के मामले में न्यायालय ने लालबहादुर को दंडित करते हुए दो वर्ष सात माह के साथ 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि लालबहादुर को चोरी के एक अन्य मामले में भी पुनः दो वर्ष सात माह व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि गैर चोरी के अन्य मामले में जलेपी अनूप को कोर्ट ने छह माह पंद्रह दिन के साथ 500 रुपये का अर्थदंड दिया है। अर्थदंड न जमा करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संक्षेप)